इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025—फाल्गुन 5, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. F-3-3-4-0011-2024-sec-2-05(CT)(12).— भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८(१९०८ का १६) की धारा ३४ की उपधारा (१) व (३), धारा ३५ की उप-धारा (२) और धारा ६९ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निर्दिष्ट करती है कि मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, १९३९ के नियम १४८ के अधीन नीचे सारणी में उल्लिखित दस्तावेजों के वर्गों का पंजीयन निम्न सारणी के कॉलम क्रमांक (४) के अनुसार रीतियों के माध्यम से भी अनुज्ञात किया जा सकेगा:-

सारणी

अनुक्रमांक	स्टाम्प अनुसूची १-क की अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का विवरण	पंजीयन की रीति
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	१	रकम या मूल्य में पांच सौ रूपए से अधिक के किसी ऋण की अभिस्वीकृति, जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से लिखी या हस्ताक्षरित की जाए	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२.	२	किसी ऐसे अन्य विलेख के लेखे प्रतिफल के भुगतान की प्राप्ति की, अभिस्वीकृति, जिसे पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
३.	३	प्रशासन बंधपत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
४.	५	शपथ पत्र	नियम १५० अनुसार
५.	६(क)	विनियम पत्र के विक्रय से संबंधित करार या करार का ज्ञापन	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६.	६(ख)(एक)	सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित करार या करार का ज्ञापन	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
७.	६(ख)(दो)	किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में या उसके के शेयर, स्क्रिप, बंध- पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित करार या करार का ज्ञापन	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
८.	६(ग)	फ्रेंचाईज का करार	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
९.	६(घ)(दो)	विकास अनुबंध- विकासकर्ता द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः स्थावर सम्पत्ति धारित अथवा विक्रीत करने के अधिकार से रहित	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
१०.	६(ङ)(एक)	अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, जब संपत्ति का कब्जा हस्तांतरण-पत्र निष्पादित किए बिना परिदत्त किया जाता है या परिदत्त किए जाने का करार किया जाता है	नियम १५० अनुसार
११.	६(ङ)(दो)	अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, जब संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है	नियम १५० अनुसार
१२.	६(च)	अचल सम्पत्ति के भाड़ा क्रय से संबंधित करार या करार का ज्ञापन;	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
१३.	६(छ)	किसी उधार या ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन;	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
१४.	६(छ क)	समाचार पत्र से भिन्न रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, केबल नेटवर्क अथवा किसी मीडिया पर विज्ञापन से संबंधित करार या करार का ज्ञापन;	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
१५.	६(छ ख)	संकर्म संविदा, जो विकास अथवा निर्माण का करार अथवा प्रतिभूति बंधपत्र न हो	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
१६.	६(ज)	करार या करार का ज्ञापन जो अन्यथा उपबंधित न हो	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
१७.	७(क)	अनुसूचित बैंक, नान बैकिंग फायनेंस कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) अथवा कॉरपोरेट बैंक के साथ हक विलेखों के निक्षेप/ सामयिक बंधक से संबंधित करार	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
१८.	७(ख)	पण्यम/ गिरवी /आडमान से संबंधित करार	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
१९.	८	मुख्तारनामा के निष्पादन में, न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति पर नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२०.	९	आंकना या मूल्यांकन, जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२१.	१०	शिक्षुता विलेख, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है, जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२२.	११	कंपनी के अनुच्छेद	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२३.	१२	स्थावर सम्पत्ति से रहित पंचाट	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२४.	१२	स्थावर सम्पत्ति सहित पंचाट	नियम १५० अनुसार
२५.	१३	बैंक प्रत्याभूति	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२६.	१४	बंधपत्र, जो डिबेंचर नहीं है तथा जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
२७.	१५	पोत बंधपत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२८.	१७	मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) द्वारा, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा २२ के अधीन जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
२९.	१८	नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३०.	१९	विक्रय प्रमाण-पत्र	नियम १५० अनुसार
३१.	२०	प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज जो उसके धारक के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के या तो उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टाक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कंपनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टाक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३२.	२१	भाड़े पर पोत लेने की संविदा	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३३.	२२	समाशोधन सूची	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३४.	२३	प्रशमन विलेख	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३५.	खण्ड (च) का परंतुक	दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में अपनी पत्नी या पुत्री का नाम पृथकतः या संयुक्ततः सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करता है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३६.	२६	प्रति या उद्धरण	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३७.	२७	प्रतिलेख या विलेख की दूसरी प्रति	नियम १५० अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
३८.	२८	सीमा शुल्क बंध-पत्र या आबकारी बंध-पत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
३९.	२९	घोषणा, मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० (क्रमांक १५ सन् २००१) के अधीन	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
४०.	३०	माल की बाबत् परिदान-आदेश	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
४१.	३१	विवाह विच्छेद	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
४२.	३३	विवाह प्रमाण-पत्र की प्रविष्टि	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
४३.	३५	अतिरिक्त भार की लिखत अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर और भार अधिरोपित करती है	नियम १५० अनुसार
४४.	३७	क्षतिपूर्ति बंध पत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
४५.	३८(क)	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित किए गए पट्टे	नियम १५० अनुसार
४६.	३८(क)(एक)	खनन पट्टा से भिन्न, एक वर्ष से कम अवधि का पट्टा, जिसके अंतर्गत, अवर-पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार सम्मिलित है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
४७.	३८(क)(दो)	पट्टा, जिसके अंतर्गत, खनन पट्टा से भिन्न, अवर-पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार सम्मिलित है, जहां कि पट्टा ऐसी अवधि जो एक वर्ष या अधिक है, किन्तु पांच वर्ष तक है, के लिए तात्पर्यित है	नियम १५० अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
४८.	३८(क)(तीन)	पट्टा, जिसके अंतर्गत, अवर-पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार सम्मिलित है, जहां कि पट्टा ऐसी अवधि जो पांच वर्ष से अधिक है, किन्तु दस वर्ष तक है, के लिए तात्पर्यित है।	नियम १५० अनुसार
४९.	३९	शेयरों का आबंटन-पत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५०.	४०	प्रत्याभूति-पत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५१.	४१	अनुज्ञप्ति पत्र, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५२.	४१क	शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति अर्थात् आयुध अधिनियम, १९५९(१९५९ का ५४) के उपबंधों के अधीन शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५३.	४२	कंपनी का ज्ञापन	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५४.	४३	अनुसूचित बैंक, नान बैंकिंग फायनेंस कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) अथवा कोरपोरेट बैंक के साथ बंधक	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५५.	४४	फसल का बंधक	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५६.	४५	नोटरी अधिनियम संबंधी कार्य	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५७.	४६	टिप्पण या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है-	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
		(क) ऐसे किसी माल का, जो एक सौ रूपए से अधिक मूल्य का है; (ख) ऐसे किसी शेयर, स्क्रिप, स्टाक, बंध-पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति का, जो एक सौ रूपए से अधिक मूल्य का है, जो सरकारी प्रतिभूति न हो; (ग) किसी सरकारी प्रतिभूति का।	
५८.	४७	पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
५९.	४८	अनन्य रूप से कृषि भूमि का विभाजन	नियम १५० अनुसार
६०.	४९(क)(क) तथा ४९(क)(ख)	भागीदारी, जहां अभिदाय का शेयर स्थावर सम्पत्ति के रूप में न लाया गया हो	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६१.	४९(ख)(क)	भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति -जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार, जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है	नियम १५० अनुसार
६२.	४९(ख)(ख)	भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति- जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार, जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में नहीं ली जाती है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६३.	५०(क),(ख),(ङ) एवं (च)	दस से अनधिक व्यक्तियों को एक या अधिक संव्यवहारों हेतु अधिकृत करने वाला मुख्तारनामा	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६४.	५०(ग) एवं (घ)	मध्यप्रदेश में अवस्थित स्थावर सम्पत्ति को विक्रय, दान, विनिमय या स्थाई रूप से अन्य संक्रांत करने के लिए अभिकर्ता को अधिकृत करने वाला मुख्तारनामा	नियम १५० अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
६५.	५१	विनिमय-पत्र या वचन-पत्र पर आपत्ति	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६६.	५२	पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६७.	५३	बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण, जिसमें हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक सम्मिलित है।	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६८.	५५	जहाजी माल बंध पत्र	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
६९.	५६	प्रतिभूति बंधपत्र, जो बंधक-विलेख नहीं है	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
७०.	५८	शेयर वारंट	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
७१.	५९	पोत द्वारा भेजने के आदेश, जो किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण करने के लिए या माल का प्रवहण करने से संबंधित हो	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
७२.	६०	पट्टे का अभ्यर्पण	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
७३.	६१	अन्तरण- (क) धारा ८ द्वारा उपबंधित के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे डिबेंचर शुल्क के लिए दायी हो या न हो। (ख) बंध-पत्र, बंधक-विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का। (ग) महाप्रशासक अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ४५) की धारा २२ के अधीन किसी संपत्ति का;	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार
७४.	६३(ख)	न्यास का प्रतिसंहरण	नियम १५० अनुसार

(१)	(२)	(३)	(४)
७५.	६४	माल के लिए वारंट	नियम १५० अथवा १५१ अनुसार

नोट:- इसके अतिरिक्त, उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं किए गए अन्य दस्तावेज, और जिनका पंजीयन अधिनियम के अधीन अनिवार्य नहीं है, का पंजीयन भी उक्त नियमों के नियम १५० अथवा १५१ में वर्णित रीति से किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्र. F-3-3-4-0011-2024-sec-2-05(CT)(12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्र. F-3-3-4-0011-2024-sec-2-05(CT)(12) दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

No. F-3-3-4-0011-2024-sec-2-05(CT)(12) Bhopal, the 24th February 2025

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 34, sub-section (2) of section 35 and sub-section (1) of section 69 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government, hereby, specifies that registration of classes of documents mentioned in the table below, under rule 148 of the Madhya Pradesh Registration Rules, 1939, may also be permitted through the modes as per column number (4) of the table below:-

TABLE

S. No.	Article No. of Stamp Schedule 1-A	Description of document	Mode of Registration
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	Acknowledgement of a debt, exceeding Rs 500 in amount or value written or signed by or on behalf of debtor	as per rule 150 or 151
2.	2	Acknowledgement of receipt of payment of consideration on account of another deed, which has been previously registered	as per rule 150 or 151
3.	3	Administration Bond	as per rule 150 or 151
4.	5	Affidavit	as per rule 150
5.	6(a)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to the sale of bill of exchange	as per rule 150 or 151
6.	6(b)(i)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to the purchase or sale of a government security	as per rule 150 or 151
7.	6(b)(ii)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to the purchase or sale of shares, scrips, bonds, debentures, debenture-stocks or any other marketable security of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate.	as per rule 150 or 151
8.	6(c)	Franchise Agreement	as per rule 150 or 151
9.	6(d)(ii)	Development Agreement -with no rights of holding or selling immovable property jointly or severally by the developer.	as per rule 150 or 151
10.	6(e)(i)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to sale of immovable property, when possession of the property is delivered or is agreed to be delivered without executing the conveyance	as per rule 150

11.	6(e)(ii)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to sale of immovable property, when possession of the property is not given	as per rule 150
12.	6(f)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to hire-purchase of immovable property.	as per rule 150 or 151
13.	6(g)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to secure repayment of a loan or debt.	as per rule 150 or 151
14.	6(ga)	Agreement or Memorandum of an agreement relating to advertisement on Radio, Television, Cinema, Cable network, or any media other than newspaper	as per rule 150 or 151
15.	6(gb)	Work Contract, not being a Development or Construction Agreement or a Security Bond	as per rule 150 or 151
16.	6(h)	Agreement or Memorandum of an agreement not otherwise provided for	as per rule 150 or 151
17.	7(a)	Agreement relating to Deposit of Title Deed /Equitable Mortgage with Scheduled Banks, Non-Banking Financial Company or Corporate Banks	as per rule 150 or 151
18.	7(b)	Agreement relating to Pawn/Pledge/ Hypothecation	as per rule 150 or 151
19.	8	Appointment in execution of a power, whether of trustees or of property, movable or immovable, where made by any writing not being a will	as per rule 150 or 151
20.	9	Appraisement or valuation, made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit.	as per rule 150 or 151
21.	10	Apprenticeship deed, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment.	as per rule 150 or 151

22.	11	Articles of a company	as per rule 150 or 151
23.	12	Award without immovable property	as per rule 150 or 151
24.	12	Award with immovable property	as per rule 150
25.	13	Bank Guarantee	as per rule 150 or 151
26.	14	Bond, not being a debenture and not being otherwise provided for by this Act or by the Court Fees Act, 1870, (7 of 1870)-	as per rule 150 or 151
27.	15	Bottomry Bond	as per rule 150 or 151
28.	17	Certificate of Enrolment- under section 22 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) issued by the State Bar Council of Madhya Pradesh	as per rule 150 or 151
29.	18	Certificate of practice as Notary	as per rule 150 or 151
30.	19	Certificate of Sale	as per rule 150
31.	20	Certificate or other document, evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body	as per rule 150 or 151
32.	21	Charter-party	as per rule 150 or 151
33.	22	Clearance list	as per rule 150 or 151
34.	23	Composition deed	as per rule 150 or 151
35.	25 Proviso to clause (f)	Document where by a person includes the name of his wife or daughter severally or jointly as co-owner in his property.	as per rule 150 or 151
36.	26	Copy or extract	as per rule 150 or 151
37.	27	Counterpart or duplicate of any instrument	as per rule 150
38.	28	Customs Bond or Excise Bond	as per rule 150 or 151
39.	29	Declaration, under the Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 2000 (No. 15 of 2001)	as per rule 150 or 151
40.	30	Delivery order in respect of goods	as per rule 150 or 151

41.	31	Divorce	as per rule 150 or 151
42.	33	Entry of certificate of marriage	as per rule 150 or 151
43.	35	Further charge - Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property	as per rule 150
44.	37	Indemnity Bond	as per rule 150 or 151
45.	38(a)	Lease executed by or on behalf of the Central Government or the State Government or any undertaking of the State Government	as per rule 150
46.	38(a)(i)	Lease, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease, other than mining lease, for a term less than one year	as per rule 150 or 151
47.	38(a)(ii)	Lease, including an under lease, or sub lease and any agreement to let or sub let or any renewal of lease - where the lease purports to be for a term of one year or more but up to five years	as per rule 150
48.	38(a)(iii)	Lease, including an under lease, or sub lease and any agreement to let or sub let or any renewal of lease - where the lease purports to be for a term exceeding five years but up to ten years	as per rule 150
49.	39	letter of allotment of Shares	as per rule 150 or 151
50.	40	Letter of guarantee	as per rule 150 or 151
51.	41	Letter of licence, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the later shall for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion	as per rule 150 or 151
52.	41A	Licence, relating to arms or ammunitions, that is to say, document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959 (No. 54 of 1959)	as per rule 150 or 151
53.	42	Memorandum of company	as per rule 150 or 151

54.	43	Mortgage with Scheduled Banks, Non-Banking Financial Company or Corporate Banks	as per rule 150 or 151
55.	44	Mortgage of a crop	as per rule 150 or 151
56.	45	Notarial Act	as per rule 150 or 151
57.	46	Note or Memorandum, sent by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal- (a) of any goods exceeding in value one hundred rupees; (b) of any share, scrip, stock, bond, debenture, debenture stock or other marketable security of a like nature exceeding in value one hundred rupees, not being a Government Security; (c) of a Government Security.	as per rule 150 or 151
58.	47	Note of Protest, by the master of a ship	as per rule 150 or 151
59.	48	Partition of agricultural land exclusively	as per rule 150
60.	49(A)(a) and 49(A)(b)	Partnership where no share of contribution is brought by way of immoveable property.	as per rule 150 or 151
61.	49(B)(a)	Dissolution of partnership or retirement of a Partner- where on dissolution of partnership or on retirement of a partner, any immovable property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership	as per rule 150
62.	49(B)(b)	Dissolution of partnership or retirement of a Partner- where on dissolution of partnership or on retirement of a partner, any immovable property is not taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership	as per rule 150 or 151
63.	50(a), (b), (e) and (f)	Power of Attorney authorising not more than 10 person to act in one or more transactions	as per rule 150 or 151

64.	50(c) and (d)	Power of attorney authorising the agent to sell, gift, exchange or permanently alienate any immovable property situated in Madhya Pradesh	as per rule 150
65.	51	Protest of Bill or Note	as per rule 150 or 151
66.	52	Protest by the master of a ship	as per rule 150 or 151
67.	53	Reconveyance of mortgage, including mortgage by deposit of title deeds.	as per rule 150 or 151
68.	55	Respondentia bond	as per rule 150 or 151
69.	56	Security bond, not being a mortgage deed	as per rule 150 or 151
70.	58	Share warrant	as per rule 150 or 151
71.	59	Shipping order, for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel	as per rule 150 or 151
72.	60	Surrender of lease	as per rule 150 or 151
73.	61	Transfer- (a) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8. (b) of any interest secured by a bond, mortgage deed or policy of insurance. (c) of any property under section 22 of the Administrator's General Act, 1963 (No. 45 of 1963).	as per rule 150 or 151
74.	63(B)	Revocation of trust	as per rule 150
75.	64	Warrant for goods	as per rule 150 or 151

Note:- Besides, other documents not included in the above list and whose registration is not mandatory under the Act, may also be registered through the modes as described in rule 150 or 151 of the said rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDNA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.